

GST Hindi Update on Detention of Goods on the allegation of Wrong Destination

विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय ने ई वे बिल पर काफी सारे निर्णय किए हैं। इन सभी मामलों में एक बार निश्चित है कि विभाग छोटी-छोटी clerical गलतियों पर भी माल तथा वाहन को जप्त कर लेता है। हाईकोर्ट ने बार-बार यह कहा है कि इन छोटी-छोटी गलतियों के basis पर इस तरह का action ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने landmark decision दिया कि यदि माल undervalue है तो department को माल को Detain करने का अधिकार नहीं है। माल के साथ में बिल तथा ई वे बिल है तो माल को Detain नहीं किया जा सकता है। डिपार्टमेंट चाहे तो अलग से उसके लिए proceedings शुरू कर सकता है।

इसी प्रकार तेलगाना हाईकोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि अगर माल ड्राइवर की गलती से गलत डेस्टिनेशन के लिए निकल गया है तो भी उसको seize नहीं किया जा सकता है। आज के update मैं हम इसी निर्णय पर विवेचना कर रहे हैं।

इस केस में गुड्स कर्नाटक से हैदराबाद जा रहे थे। उसके ड्राइवर के पास सभी दस्तावेज जैसे कि बिल, ई वे बिल साथ में थे। इसमें धारा 129(3) of CGST Act 2017 के तहत नोटिस जारी किया गया कि बिल तथा ई वे बिल पर जो एड्रेस दिया हुआ था ड्राइवर उस एड्रेस से भी काफी आगे आ गया था। अगर माल कर्नाटक से हैदराबाद ही जाना था तो ड्राइवर को उस रूट पर आने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए डिपार्टमेंट का यह मानना था कि गुड्स बिल में लिखे हुए address पर नहीं जा रहे थे तथा उनको कहीं और ही ले जाया जा रहा था। Petitioner पर दबाव बनाया गया कि नोटिस के अनुसार माल का Tax and Penalty भरकर माल को release करा लीजिए। Petitioner के परिवार में शादी थी तथा उस पर ड्राइवर का भी जल्दी से जल्दी ट्रक छुड़वाने का दबाव था। उस वक्त Petitioner ने कर एवं पेनल्टी का भुगतान कर दिया तथा उस पर किसी तरह का protest भी नहीं किया।

उसके पश्चात Petitioner ने हाईकोर्ट में writ फाइल की कि Section 129 के तहत माल तथा vehicle को Detain किया जाना सही नहीं था क्योंकि ड्राइवर के पास valid मूल दस्तावेज थे। ड्राइवर कर्नाटक का रहने वाला था और इस मार्ग से परिचित नहीं था। Telengana High Court ने निर्णय किया कि ड्राइवर कर्नाटक का निवासी था तथा यह माना जा सकता है कि वह हैदराबाद के रास्तों से अनभिज्ञ था। Telegana High Court ने Supreme Court के Dabur India Limited Vs Sate of UP के निर्णय का हवाला देते हुए डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि Pettioner को Tax, Penaltty का भुगतान @ 6% प्रतिवर्ष के ब्याज सहित Refund कर दिया जाए। इस केस में Petitioner के पास valid दस्तावेज होने के बावजूद विभाग द्वारा पावर का गलत इस्तेमाल करके माल को गलत detain किया गया है।

अतः ट्रेड एवं इंडस्ट्री को इस बारे में सरकार को Represent करना चाहिए कि धारा 129 का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण माल को seize नहीं किया जाना चाहिए।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on <https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/> as well as follow us on twitter at <https://www.twitter.com/@capradeepjain21>.